न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/144/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/304

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री रामनिवास मीना, नि0 ग्राम–बबेली, तह0 रैणी (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 27.12.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 28.02.2023

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 14.10.2022 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, अलवर को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर "प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 अन्तर्गत उपखण्ड क्षेत्र राजगढ में किए गए भूमि आवंटन के संबंध में बिन्दुवार सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन की विषयवस्तु लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, अलवर से संबंधित ना होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रत्यर्थी विभाग को मूल सूचना आवेदन अन्तरित किया गया है।
5. उक्त अन्तरण के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अन्ततः हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
6. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. सू.अ./2022/36 दिनांक: 10.01.2023, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब नोटिस पत्र सं. सू.अ./2022/36 दिनांक: 10.01.2023 के साथ **संलग्न पत्र** सं. 34–35 दिनांक: 09.01.23 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया है जो उचित नहीं है, साथ ही अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। **अपील खारिज** कर निस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 28.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० म०जि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(इन्द्रजीत सिंह)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)